न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

विविध वाद संख्या 56/2025
(कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 417/2025)
(CNR No UPGZ010148152025)

श्रीमती कल्पना त्यागी पत्नी स्व० श्री रविन्द्र त्यागी पुत्र स्व० श्री सुभाष त्यागी आयु 39 वर्ष, निवासी 155 ग्राम मोरटी तहसील व जिला–गाजियाबाद।

.....प्रार्थिनी/वादिनी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र स्व० श्री सुभाष त्यागी निवासी 126 ग्राम मोरटी तहसील व जिला–गाजियाबाद।
2. मयंक त्यागी पुत्र स्व० श्री रविन्द्र त्यागी निवासी ग्राम मोरटी तहसील व जिला – गाजियाबाद।

.....प्रतिवादी/विपक्षीगण

31.03.2026

निर्णय

1. प्रार्थिनी/वादिनी की ओर से उक्त विविध वाद धारा 7/1 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट तथा धारा 8(2) हिन्दू माईनर एण्ड गार्जियन एक्ट के अन्तर्गत योजित किया गया है, जिसके द्वारा प्रार्थिनी/ वादिनी को अवयस्क पुत्र सूर्या त्यागी की संरक्षिका नियुक्त किया जाकर सम्पत्ति खसरा नं. 83 मि० रकबा 331.43 वर्गमीटर स्थित ग्राम मोरटी तहसील व जिला–गाजियाबाद की भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

2 संक्षेप में प्रार्थिनी/वादिनी का कथन है कि प्रार्थिनी/वादिनी की शादी रविन्द्र त्यागी के साथ हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुई थी तथा प्रार्थिनी/वादिनी व उसके पति के संसर्ग से दो पुत्र मयंक त्यागी एवं सूर्या त्यागी पैदा हुआ। दोनों बच्चे वादिनी के पास है तथा वादिनी ही दोनों की देखरेख व शिक्षा आदि देखभाल कर रही है। प्रार्थिनी /वादिनी के पति रविन्द्र त्यागी का देहान्त दिनांक 14.07.2024 को हो चुका है। प्रार्थिनी/वादिनी के पति की मृत्यु के उपरान्त वादिनी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। प्रार्थिनी/वादिनी के पति की मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर वादिनी, मयंक त्यागी एवं सूर्या त्यागी को कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रार्थिनी /वादिनी एवं मयंक त्यागी को प्राप्त कृषि भूमि को विक्रय कर दिया गया है तथा अवयस्क सूर्या त्यागी की सम्पत्ति शेष है। प्रार्थिनी/वादिनी की आर्थिक स्थिति काफी खराब होने के कारण अवयस्क पुत्र सूर्या की शिक्षा व भरण पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रही है, जिस कारण अवयस्क के अंश की कृषि भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थिनी/वादिनी उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थिनी/वादिनी सूर्या त्यागी की शिक्षा, चिकित्सा व भरण पोषण हेतु ही खर्च करेगी । उक्त धनराशि का दुरूपयोग नहीं करेगी। निवेदन किया गया है कि अवयस्क के अंश की सम्पत्ति

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.04.02 16:51:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रार्थिनी/वादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

3. विपक्षी संख्या–2 मयंक त्यागी की ओर से अनापत्ति कागज संख्या 19ग दाखिल करते हुए कहा है कि अवयस्क सूर्या त्यागी प्रतिवादी का सगा भाई है उक्त वाद अवयस्क के अंश की कृषि भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु योजित किया गया है। अवयस्क सूर्या त्यागी की भूमि रकबा 331.41 वर्गमीटर को छोड़कर सम्पूर्ण भूमि विक्रय की जा चुकी है। विपक्षी संख्या–2 ने भी अपने हक व हिस्से की भूमि का बैनामा कर दिया है। अवयस्क की भूमि के अलावा उपरोक्त खसरा में किसी का भी हिस्सा शेष नहीं रहा हैं। अवयस्क के हिस्से में कम भूमि आने के कारण उक्त भूमि पर कृषि किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थिनी/वादिनी को अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करने तथा उसके अंश की सम्पत्ति को विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

4. विपक्षी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।

5. उक्त मामले में आम जनता से आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस का जनरल प्रकाशन अखबार के माध्यम से कराया गया तथा मुनादी करायी गयी, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

6. प्रार्थिनी/वादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 8ग से बैनामा दिनांकित 10.09.2025 की छायाप्रति कागज संख्या 9ग, वारिसान प्रमाणपत्र की छायाप्रति कागज संख्या 10ग, अवयस्क सूर्या त्यागी के रिपोर्ट कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 11ग, अवयस्क के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 12ग, अवयस्क के जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति कागज संख्या 13ग, वादिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 14ग आदि दाखिल किये गये हैं।

7. मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू.–1 अवयस्क सूर्या त्यागी को परीक्षित कराया गया है। अवयस्क सूर्या त्यागी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि उसके पिता जी स्व० रविन्द्र त्यागी की मृत्यु दिनांक 14.07.2024 को हो गयी। उसके पापा जी की मृत्यु के उपरान्त उसके हिस्से की भूमि उसकी मम्मी श्रीमती कल्पना त्यागी, उसके बडे भाई मयंक त्यागी व उसके नाम खतौनी में दर्ज हुई। उक्त भूमि में उसका केवल 331.43 वर्गमीटर हिस्सा है। उक्त खसरे में उसके ताऊ व चाचा सभी सहखातेदार है। उसकी मम्मी व भाई व अन्य ताऊ और चाचा ने उपरोक्त भूमि में अपने हक व हिस्से की भूमि का बैनामा दिनांक 10.09.2025 को कर दिया है। कम भूमि होने के कारण उक्त भूमि पर न कृषि कार्य हो सकता है और न ही कोई अन्य खरीददार खरीदने को तैयार है। उसकी भूमि वही व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है जिन्होंने उसकी मम्मी, भाई, ताऊ व चाचा व परिवार के अन्य व्यक्ति की भूमि खरीदी है। उसके हक व हिस्से की भूमि को विक्रय करने की अनुमति उसकी मम्मी को दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

8. प्रार्थिनी/वादिनी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या–2 की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली का सम्यक रूपसे परिशीलन किया गया।

9. धारा 7/1 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट तथा धारा 8(2) हिन्दू माईनर एण्ड गार्जियन एक्ट के अन्तर्गत संरक्षक को यदि अवयस्क की सम्पत्ति के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है तो ऐसे में मुख्यतः यह विचार किया जाना होता है कि उपरोक्त विक्रय

क्या अवयस्क के कल्याण हेतु किया जा रहा है अथवा नहीं? प्रार्थिनी/वादिनी की ओर से उक्त विविध वाद इस आशय से योजित किया गया है कि प्रार्थिनी/वादिनी की शादी रविन्द्र त्यागी के साथ हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी तथा प्रार्थिनी/वादिनी व उसके पति के संसर्ग से दो पुत्र मयंक त्यागी एवं सूर्या त्यागी पैदा हुआ। दोनों बच्चे वादिनी के पास है तथा वादिनी ही दोनों की देखरेख व शिक्षा आदि देखभाल कर रही है। प्रार्थिनी/वादिनी के पति रविन्द्र त्यागी का देहान्त दिनांक 14.07.2024 को हो चुका है। प्रार्थिनी/वादिनी के पति की मृत्यु के उपरान्त वादिनी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और विरासत के आधार पर वादिनी, मयंक त्यागी एवं सूर्या को कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रार्थिनी/वादिनी एवं मयंक त्यागी को प्राप्त कृषि भूमि को विक्रय कर दिया गया है तथा अवयस्क सूर्या त्यागी की सम्पत्ति शेष है। प्रार्थिनी/वादिनी की आर्थिक स्थिति काफी खराब होने के कारण अवयस्क पुत्र सूर्या की शिक्षा व भरण पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रही है जिस कारण अयस्क के अंश की कृषि भूमि को विक्रय करना चाहती है। प्रार्थिनी/वादिनी उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थिनी/वादिनी सूर्या त्यागी की शिक्षा दीक्षा चिकित्सा व भरण पोषण हेतु ही खर्च करेगी ।

10. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी/वादिनी के पति रविन्द्र त्यागी का देहान्त दिनांक 14.07.2024 को हो चुका है और उनकी मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर वादिनी, मयंक त्यागी व सूर्या त्यागी को कृषि भूमि प्राप्त हुई। अवयस्क के हिस्से में खसरा नं. 83 मि० रकबा 331.43 वर्गमीटर स्थित मोरटी तहसील व जिला–गाजियाबाद कृषि भूमि आयी। वादिनी की ओर से कहा गया है कि प्रार्थिनी/वादिनी व मयंक त्यागी अपने हिस्से को विक्रय कर चुके है तथा अवयस्क का हिस्सा शेष है। यह भी कहा गया है कि उसके पति की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थिनी/वादिनी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो चुकी है। अवयस्क की शिक्षा व भरण पोषण हेतु रूपयों की आवश्यकता है और प्रार्थिनी/वादिनी की आय का कोई स्रोत नहीं है। इसी कारण प्रार्थिनी/वादिनी अवयस्क की उक्त सम्पत्ति को विक्रय करना चाहती है। विपक्षी संख्या–2 मयंक त्यागी जो कि प्रार्थिनी/वादिनी का पुत्र है जो कि वयस्क हो चुका है द्वारा अपनी अनापत्ति में कहा गया है कि यदि प्रार्थिनी/वादिनी को अवयस्क के अंश की सम्पत्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार अवयस्क सूर्या त्यागी द्वारा भी अपने बयान में कहा गया है कि यदि उसके अंश की भूमि को विक्रय करने की अनुमति उसकी माता को दी जाती है तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर मृतक के पारिवारिक सदस्यों की सूची कागज संख्या 10ग दाखिल की गयी है जिसमें उल्लेख है कि मृतक रविन्द्र त्यागी की मृत्यु दिनांक 14.07.2024 को हो चुकी है तथा मृतक के वारिसान के रूप में कल्पना त्यागी, मयंक त्यागी एवं सूर्या त्यागी का नाम उल्लिखित है। प्रार्थिनी/वादिनी , अवयस्क सूर्या त्यागी की सगी माता है तथा अवयस्क की सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा सम्पत्ति को विक्रय किये जाने का कथन किया गया है।

11. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अवयस्क के हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी/वादिनी को अवयस्क सूर्या त्यागी की सम्पत्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थिनी/वादिनी की ओर से प्रस्तुत विविध वाद सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/वादिनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विविध वाद सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/वादिनी श्रीमती कल्पना त्यागी जो कि अवयस्क सूर्या त्यागी की प्राकृतिक/नैसर्गिक संरक्षिका है, को उक्त सम्पत्ति की बावत कानूनी संरक्षिका नियुक्त किया जाता है तथा अवयस्क सूर्या त्यागी की सम्पत्ति खसरा नं. 83 मि० रकबा 331.43 वर्गमीटर स्थित ग्राम मोरटी तहसील व जिला–गाजियाबाद को विक्रय करने की अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है–

(i) प्रार्थिनी/वादिनी क्रेता से सम्पत्ति विक्रय के सम्बन्ध में करार/एग्रीमेंट करेगी और विक्रय पत्र का प्रफोर्मा निर्णय की दिनांक से छः माह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करेंगी तथा न्यायालय की अनुमति के बिना बैनामा निष्पादित नही करेगी।

(ii) सम्पत्ति के आसपास के दो व्यक्तियों की सम्पत्ति के विक्रयपत्र विगत दो वर्ष के अन्दर की अवधि के, की प्रति बतौर उदाहरण की सम्पत्ति की कीमत समुचित है अथवा नहीं, न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए दाखिल करें।

(iii) अवयस्क के अंश की सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि प्रार्थिनी/वादिनी को प्राप्त होगी तथा प्रार्थिनी/वादिनी उक्त धनराशि का उपयोग अवयस्क के कल्याण हेतु करेगी। प्रतिफल की शेष 75 प्रतिशत धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अवयस्क के नाम उसके वयस्क होने तक की अवधि के लिए सावधि जमा योजना/एफ.डी.आर. के रूप में जमा किया जाएगा। यदि अवयस्क के वयस्क होने से पूर्व उसकी शिक्षा अथवा अन्य जरूरत हेतु पैसों की आवश्यकता होती है तो इसके लिए प्रार्थिनी/वादिनी न्यायालय में प्रार्थनापत्र पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

(iv) यह भी उल्लिखित किया जाता है कि उपरोक्त तीनों शर्तों के अनुपालन पश्चात ही प्रार्थिनी/वादिनी को सम्पत्ति विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उक्त अनुमति निर्णय की दिनांक से छः माह की अवधि के लिए है, तत्पश्चात वह स्वमेव निरस्त हो जाएगी।

(v) मृतक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त के अतिरिक्त यदि कोई वसीयत की है तो अनुमति, वसीयत से उत्पन्न किसी विधिक बिन्दु,यदि कोई होता है, के निस्तारण के अधीन होगी।

दिनांक 31.03.2026

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 31.03.2026

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।